राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली
14 जनवरी, 1961
24 पौष, 1882 (शक)

आदेश

भारत सरकार (कार्यकरण) नियम

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय के सभी पहले के नियमों और आदेशों को अधिक्रान्त करते हुए भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम- ये नियम भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 है ।

2. परिभाषा- इन नियमों में ''विभाग'' से भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों तथा कार्यालयों में से कोई अभिप्रेत है ।

3. मंत्रालयों द्वारा कार्य का निपटाया जाना - इन नियमों के उन उपबंधों के जो अन्य विभागों के साथ परामर्श तथा प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उनकी समितियों और राष्ट्रपति के समक्ष मामले प्रस्तुत करने के बारे में हैं, अध्यधीन यह है कि भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अधीन किसी विभाग को आबंटित सभी कार्य भारसाधक मंत्री द्वारा या उसके साधारण या विशेष निदेशों के अधीन निपटाया जाएगा ।

4. अन्तर्विभागीय परामर्श-(1) जब किसी मामले का विषय एक से अधिक विभागों से संबद्ध हो तो तब तक कोई भी विनिश्चय अथवा आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे सभी विभाग सहमत न हो गए हों या ऐसी सहमति के अभाव में मंत्रिमंडल द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस पर कोई विनिश्चय न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण- ऐसे हर मामले के बारे में जिसमें, यदि कोई विनिश्चय एक विभाग द्वारा किया जाए तो उसका प्रभाव अन्य विभाग को आबंटित कार्य करने पर पड़ना सम्भाव्य हो यह समझा जाएगा कि वह ऐसा मामला है, जिसका विषय एक से अधिक विभागों से संबद्ध है ।

(2) जब तक मामला वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्रदत्त व्यय मंजूर करने की या निधियां विनियोजित या पुनः विनियोजित करने की शक्तियों के अंतर्गत पूर्णतः नहीं आ जाता तब तक कोई भी विभाग, वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना, ऐसे आदेश नहीं जारी करेगा-

(क) जिनमें राजस्व का कोई परित्याग अंतर्ग्रस्त हो या कोई ऐसा व्यय अंतर्ग्रस्त हो जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो;

(ख) जिनमें भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का कोई समनुदेशन या खनिज या वन संबंधी अधिकारों की या जलशक्ति के किसी अधिकार की कोई रियायत,

अनुदान, पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसी रियायत के बारे कोई सुखाचार या विशेषाधिकार अंतर्ग्रस्त हो;

(ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी या किसी सेवा की पद संख्या या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्तों या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य ऐसी शर्तों से संबद्ध हों जिनका वित्तीय प्रभाव हो; अथवा

(घ) जो अन्यथा वित्तीय प्रभाव रखते हों, चाहे उनमें व्यय अंतर्ग्रस्त हो या न हो;

परन्तु खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रकार के कोई भी आदेश, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति के बिना वित्त मंत्रालय की बाबत जारी नहीं किए जाएंगे ।

(3) विधि मंत्रालय से निम्नलिखित के संबंध में परामर्श किया जाएगा:-

(क) विधान के लिए प्रस्थापनाएं;

(ख) सरकार को दी गई कानूनी शक्ति के प्रयोग में साधारण प्रकार के नियम और आदेश बनाना; और

(ग) सरकार द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण संविदाएं तैयार करना ।

(4) जब तक मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तत्पूर्व दिए गए विनिश्चय या सलाह के अंतर्गत पूर्णतः नहीं आ जाता, उस विभाग से उन सभी विषयों पर परामर्श किया जाएगा, जिनमें-

(क) सिविल नियोजन में सरकारी सेवकों को साधारण रूप से लागू होने वाली भर्ती की पद्धतियों और सेवा की शर्तों का अवधारण अंतर्ग्रस्त हों; तथा

(ख) ऐसी भर्ती या सेवा की शर्तों के संबंध में साधारण रूप से लागू होने वाले विद्यमान आदेशों का निर्वचन अंतर्ग्रस्त हो ।

(5) जब तक मामला उस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या दी गई सलाह के अंतर्गत पूर्णतः नहीं आ जाता, भारत के वैदेशिक संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर विदेश मंत्रालय से परामर्श किया जाएगा ।

5. कागज-पत्रों के लिए अनुरोध- (1) प्रधानमंत्री किसी भी विभाग से कागज-पत्र मंगा सकेगा ।

(2) वित्त मंत्री किसी भी विभाग से वे कागज-पत्र मंगा सकेगा जिनमें कोई वित्तीय बात अंतर्ग्रस्त हो ।

(3) कोई भी मंत्री किसी भी अन्य विभाग के कागज-पत्र देखने की मांग कर सकेगा यदि उनका संबंध उसके समक्ष आये हुए किसी मामले से हो या उस पर विचार करने के लिए वे अपेक्षित हों ।

6. मंत्रिमंडल की समितियां-

(1) मंत्रिमंडल की स्थायी समितियां होंगी जो इन नियमों की प्रथम अनुसूची में उपवर्णित है

और उनके वे कृत्य होंगे जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं । प्रधानमंत्री ऐसी समितियों की संख्या को बढ़ाकर या घटाकर या उन्हें सौंपे गए कृत्यों को उपान्तरित करके अनुसूची को समय-समय पर संशोधित कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति उन मंत्रियों से मिलकर बनेगी जिन्हें प्रधानमंत्री समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ।

(3) नियम 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक स्थायी समिति को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह संबद्ध मंत्री के आदेश द्वारा अथवा मंत्रिमंडल द्वारा उन निर्दिष्ट विषयों पर विचार करे और उन पर विनिश्चय करे ।

(4) उन विषयों का, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अन्वेषण करने और मंत्रिमंडल को उन पर रिपोर्ट देने के लिए तथा यदि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों अथवा प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए तो ऐसे विषयों पर विनिश्चय करने के लिए मंत्रियों के समूह सहित मंत्रियों की तदर्थ समितियां, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जा सकेंगी ।

(5) उस सीमा तक, जहां तक द्वितीय अनुसूची में दिए गए मामलों तथा प्रथम अनुसूची में उपवर्णित मामलों में समानता है, मंत्रिमंडल की स्थायी समितियां उस विषय में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होंगी, उन मामलों को छोड़कर जहां प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची की सुसंगत प्रविष्टियां समितियों द्वारा ऐसे निर्णय लेने में बाधक हों ।

(6) किसी स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकेगा ।

(7) कोई ऐसा मामला जिसका संबंध एक से अधिक विभागों से हो मंत्रिमंडल की स्थायी या तदर्थ समिति के समक्ष तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि सभी संबद्ध विभागों से परामर्श न कर लिया गया हो ।

7. मामलों का मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना:- (i) इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मामले, नियम 6 के उप-नियम (5) के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाएंगे:

परन्तु, कोई ऐसा मामला जिसका संबंध एक से अधिक विभागों से हो, उन दशाओं को छोड़कर जब वह अत्यावश्यक हो, मंत्रिमंडल के समक्ष तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक सभी संबद्ध विभागों से परामर्श न कर लिया जाए ।

परन्तु यह और कि ऐसा कोई मामला, जो द्वितीय अनुसूची के खंड (ज) के अंतर्गत आता है और जहां मंत्रिमंडल के या मंत्रिमंडल की किसी स्थायी समिति के विनिश्चय के अधीन मंत्रालयों/विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को विनिर्दिष्ट शक्तियां प्रत्यायोजित और संबंधित विभाग द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित की गई हैं, मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं लाया जाएगा ।

परन्तु यह भी कि नाभिकीय सिद्धांत के कार्यान्वयन और सामरिक आस्तियों की हैंडलिंग/प्रविस्तार से संबंधित मामले, जिसके अंतर्गत कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और आस्तियों के सृजन से संबंधित विषय भी हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी नाभिकीय कमान प्राधिकरण राजनीतिक परिषद् के समक्ष लाए जाएंगे ।

(ii) प्रधानमंत्री समय-समय पर मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित मामलों की संख्या अथवा वर्ग में परिवर्धन अथवा कमी करके द्वितीय अनुसूची को संशोधित कर सकेगा ।

8. मामलों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना- इन नियमों की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकार के सभी मामले, इसके पूर्व कि उन पर आदेश जारी किया जाए, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को अथवा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, जैसा कि उस अनुसूची में बताया गया है, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

9. कालिक विवरणियों का मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना- प्रत्येक विभाग अपने मुख्य क्रियाकलाप की मासिक संक्षिप्ति और अन्य ऐसी कालिक विवरणियां जिनकी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री समय-समय पर अपेक्षा करे मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगा ।

10. कतिपय कागज-पत्रों का राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना- इन नियमों की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट कालिक रिपोर्ट और अन्य कागज-पत्र जानकारी के लिए राष्ट्रपति को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे ।

11. विभागीय सचिवों का उत्तरदायित्व- प्रत्येक विभाग में, सचिव (जिस शब्द के अंतर्गत स्वतंत्र भारसाधक, विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव भी है) उसका प्रशासनिक प्रधान होगा और उस विभाग में कार्य उचित रूप से किए जाने के लिए और इन नियमों का सावधानी के साथ अनुपालन किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

12. नियमों से विचलन- प्रधानमंत्री, किसी मामले में या किन्हीं वर्गों के मामलों में, जहां तक वह आवश्यक समझे, इन नियमों से विचलन अनुज्ञात कर सकेगा या ऐसे विचलन को माफी दे सकेगा ।

राजेन्द्र प्रसाद,
राष्ट्रपति ।

प्रथम अनुसूची
[(नियम 6 (1)]

मंत्रिमंडल की स्थायी समितियां और उनके कृत्य

स्थायी समिति का नाम	कृत्य
1. मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ।	(i) भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची के उपाबंध–I में विनिर्दिष्ट नियुक्तियों के संबंध में विनिश्चय करना; और संयुक्त सचिव स्तर और ऊपर के पद(दों) (अर्थात् वेतन बैंड–4 में 10,000 रु0 ग्रेड वेतन वाले और उससे ऊपर के पद(दों)) के अस्थाई उन्नयन, जो उन्नयन की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए हो, पर विनिश्चय करना और ऐसे पद(दों) के किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थाई अवनयन पर विनिश्चय करना ; टिप्पणः पदों के अस्थाई उन्नयन या अवनयन के मामलों को व्यय विभाग से परामर्ष सहित अपेक्षित अंतर–मंत्रालयीय परामर्शों को पूरा करने के पश्चात् मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । (ii) भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची के उपाबंध II में विनिर्दिष्ट पैनलित व्यक्तियों के संबंध में विनिश्चय करना; (iii) नियुक्तियों के संबंध में संबंधित विभाग या मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के बीच असहमति के सभी मामलों पर विनिश्चय करना; (iv) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना(ओं) अथवा संगत केन्द्रीय कार्यकाल प्रतिमानकों के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के कार्यकाल को विहित सीमा से अधिक विस्तार देने के मामलों पर विनिश्चय करना; (v) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के पार्श्वीय अंतरण (लेटरल शिफ्ट) से संबंधित मामलों पर विनिश्चय करना; (vi) केन्द्रीय सरकार में कार्यरत अधिकारियों के समय से पहले उनके मूल काडर अथवा विभाग में प्रत्यावर्तन के मामलों पर विनिश्चय करना; (vii) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की अन्त:काडर प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण से संबंधित मामलों के संबंध में विनिश्चय करना; (viii) मूल नियम 56(घ) के अंतर्गत अधिवर्षिता की आयु से आगे सेवा–विस्तार के मामलों पर विनिश्चय करना; (ix) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य या

	उच्चतर रैंक या वेतन (वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन) वाले अधिकारियों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कानूनी अपेक्षाओं अथवा सुसंगत अनुदेशों के अनुसार गठित तलाश-सह-चयन समिति की सिफारिशों से असहमति के सभी मामलों पर विनिश्चय करना; (x) प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उसके समतुल्य और उससे ऊपर के रैंक अथवा वेतन (वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन) वाले अधिकारियों से, उनके सिवाय जो अपने काडर में कार्यरत हैं, प्राप्त अभ्यावेदनों, अपीलों और आवेदन पत्रों पर विचार तथा विनिश्चय करना; (xi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के बीच असहमति के सभी मामलों, जिनमें लोक उद्यम चयन बोर्ड पैनल के अधिमानता क्रम में असहमति के मामले भी हैं, पर विनिश्चय करना; (xii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, प्रबंध-निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के नियंत्री कंपनियों तथा अनुषंगियों के बीच तथा अनुषंगियों के भीतर, जिनमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हैं, अंतः कंपनी स्थानांतरण के सभी मामलों पर विनिश्चय करना; (xiii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हैं, के प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के अंतः-कंपनी स्थानांतरण से संबंधित सभी मामलों पर विनिश्चय करना; और (xiv) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त किसी व्यक्ति के भारत सरकार के किसी विभाग, राज्य के स्वामित्व वाले किसी लोक निगम, कंपनी अथवा उद्यम में किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है, नियोजन अथवा पुनः नियोजन संबंधी मामलों पर विनिश्चय करना ।
2. आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) बारी के बिना सरकारी आवास आबंटित करने को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत या नियम और निबंधन और शर्तें अवधारित करना; (ii) विभिन्न प्रवर्गों के अपात्र व्यक्तियों और संगठनों को सरकारी आवास के आबंटन और उनसे प्रभारित किए जाने वाले किराए की दर का विनिश्चय करना; (iii) संसद-सदस्यों को साधारण पूल से आवास आबंटन के प्रश्न पर विचार करना; (iv) केन्द्रीय सरकार के विद्यमान कार्यालयों को दिल्ली से बाहर के स्थानों में ले जाने और नए कार्यालयों को दिल्ली में स्थान देने के प्रस्तावों पर विचार करना; और (v) निम्नलिखित से संबंधित प्रस्तावों पर विचार और विनिश्चय

	करना- (क) विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के आवास मानों का पुनरीक्षण करना; (ख) विभिन्न टाइपों के सरकारी आवासों के लिए अनुज्ञप्ति फीस का पुनरीक्षण करना; और (ग) अन्य विषय जैसे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रवर्गों के सेवकों को 'केन्द्रीय पूल' या 'विशेष पूल' से आवास का आबंटन । **[आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक के कार्यवृत्त को जारी करने से पूर्व प्रधान मंत्री के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा]** ।
3. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) देश के लिए संगत और समाकलित आर्थिक नीति का ढांचा तैयार करने हेतु आर्थिक रुझानों, समस्याओं और संभाव्यताओं का सतत आधार पर पुनर्विलोकन करना; (ii) उच्चतम स्तर पर नीति संबंधी विनिश्चयों की अपेक्षा करने वाले आर्थिक क्षेत्र के सभी कार्यकलापों, जिनके अंतर्गत विदेशी विनिधान भी है, के बारे में निदेश देना और उनका समन्वय करना; (iii) कृषि उत्पादों की कीमत नियत करने तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री और उत्पादों की बाबत कीमत नियंत्रण से संबंधित विषयों को निपटाना; (iv) किसी भी प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण के अधीन आवश्यक वस्तुओं या थोक माल की कीमतों में वृद्धि के संबंध में कार्रवाई करना; (v) पब्लिक सेक्टर विनिधान के लिए प्राथमिकताएं अधिकथित करना और निम्नलिखित के बारे में विचार करना: (क) एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विनिधान के प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत लोक विनिधान बोर्ड/व्यय वित्त समिति/रेलवे विस्तारित बोर्ड अथवा अन्य किसी अंकक फोरम/समिति द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्ताव भी हैं, ऐसे मामलों के सिवाय जहां मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समिति अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक अवसीमाएं अधिकथित की गई हों; और (ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति जैसे अन्य मूल्यांकन मंचों/समितियों द्वारा, ऐसे मंच द्वारा अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिकथित/अनुमोदित सीमा से अधिक के ऐसे सिफारिश किए गए प्रस्ताव, किन्तु इसमें नई कंपनियों, स्वायत्त निकायों, संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाले यानों आदि की स्थापना अथवा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के

	समतुल्य या उच्चतर वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन वाले पदों के सृजन संबंधी ऐसे प्रस्ताव सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहेगा; (vi) ऐसे प्रस्तावों के संबंध में, जिन्हें आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, समय-सीमा पार होने, परिधि में परिवर्तन, अवप्राक्कलन, आदि जैसे कारणों से अंतिम रूप से दिए गए लागत प्राक्कलनों अथवा पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों में हुई वृद्धि के मामलों पर विचार करना, जिसके लिए उसी प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में अनुबद्ध प्रक्रिया लागू होगी; (vii) औद्योगिक अनुज्ञापन संबंधी नीतियों और प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, जिनमें संयुक्त सेक्टर उपक्रमों की स्थापना संबंधी मामले शामिल हैं; (viii) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य-निष्पादन का पुनर्विलोकन करना और उनके संरचनागत पुनर्गठन अथवा वित्तीय पुनर्गठन संबंधी मामलों पर विचार करना; (ix) ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना, जिसमें लघु और सीमांत कृषकों से संबंधित कार्यकलाप भी हैं; (x) प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों या परियोजनाओं के कार्यान्वियन में अंतर्वलित मंत्रालयों, अभिकरणों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अन्य निकायों की उपलब्धियों का पुनर्विलोकन करना; (xi) विनिवेश संबंधी मुद्दों पर विचार करना और निम्नलिखित पर विनिश्चय करना:- (क) संव्यवहार किए जाने वाले शेयरों की मात्रा, विक्रय की रीति और संव्यवहार की अंतिम कीमत का निर्धारण अथवा ऐसी कीमत निर्धारण के सिद्धांत/मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना; और (ख) सामरिक महत्व के विक्रय की दशा में सामरिक महत्व के भागीदार/क्रेता का चयन, विक्रय के निबंधन और शर्तें । (xii) भारत सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में धारित शेयरों की बिक्री के कीमत बैंड और अंतिम कीमत को विनिश्चित करना; टिप्पण 1: जब तक नियम 6 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी उपांतरित न कर दे तब तक उप-पैरा (xii) के अधीन कृत्यों के संबंध में मामले, वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा उस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिसके प्रस्ताव विचारार्थ आएं, से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे । टिप्पण 2: यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त संरचना को उपांतरित कर दिया जाता है, तो मंत्रिमडल सचिवालय द्वारा

	सम्यक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा । टिप्पण 3: निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) उपर्युक्त तंत्र को सेवा प्रदान करेगा । (xiii) देश में साधारण मूल्य स्थिति को मॉनीटर करना और समुचित सुधारात्मक उपायों को विनिश्चित करना जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित उपाय भी हैं; (xiv) सभी आवश्यक और कृषि संबंधी वस्तुओं की आंतरिक उपलब्धता का मूल्यांकन करना और प्रभावी उपायों को प्राधिकृत करना; (xv) सभी आवश्यक और कृषि संबंधी वस्तुओं, विशेषतया भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से, के निर्यात पर, घरेलू बाजार पर मूल्य संबंधी विवक्षा को ध्यान में रखते हुए, विनिश्चय करना; (xvi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल और प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित उपायों पर विचार करना और प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्यों को अवधारित करना; (xvii) कीमतों के स्थिरीकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के प्रदाय को बढ़ाने, जिसके अंतर्गत आयात भी है, के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करना; (xviii) आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित सांविधिक उपबंधों के प्रवर्तन संबंधी उपायों का पुनर्विलोकन करना; (xix) विश्व व्यापर संगठन संबंधी मुद्दों पर विचार करना और उन पर विनिश्चय करना; (xx)भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित मुद्दे, जिसके अंतर्गत उसके संगठन, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और उक्त प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति भी हैं, पर विचार करना ।
4. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर निगाह रखना और ऐसे कार्य को सुचारू व प्रभावी ढंग से कराने के लिए समय-समय पर, आवश्यकतानुसार निदेश देना; (ii) संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों की संवीक्षा करना और उन पर सरकार के रुख पर विचार करना; टिप्पण: संसदीय कार्य मंत्री उन मामलों में विनिश्चिय कर सकेगा जिनमें संबंधित मंत्रालय/विभाग की यह सिफारिश है कि गैर-सरकारी विधेयक/संकल्प का विरोध किया जाए, अथवा सदस्यों को विधेयक/संकल्प को वापस लेने के लिए राजी किया जाए/उनसे अनुरोध किया जाए, जिसके न हो सकने पर इसका विरोध किया जाए । मंत्री द्वारा इस प्रकार किए गए विनिश्चयों को संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा अथवा यदि उचित समयावधि में इस समिति

	की बैठक नहीं होती है तो उन्हें अनुसमर्थन के लिए समिति के सदस्यों में परिचालित किया जा सकेगा । (iii) राज्य विधान-मंडलों द्वारा बनाए गए विधानों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण से पुनर्विलोकन करना; और (iv) संसद के सदनों का आह्वान करने या सत्रावसान करने के प्रस्तावों पर विचार करना । टिप्पण: संसदीय कार्य मंत्रालय इस समिति को अपनी सेवाएं तब तक प्रदान करेगा जब तक कि मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इस संबंध में अन्यथा विनिश्चय न किया जाए ।
5. राजनीतिक कार्यो संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना; (ii) ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना, जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो; और (iii) विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना, जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो ।
6. सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) रक्षा संबंधी सभी मुद्दों पर विचार करना; (ii) विधि और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार करना; (iii) विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत विषयों पर विचार करना, जिनका आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, जिसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अन्य देशों के साथ करारों से संबंधित मामले भी हैं; (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण करने वाले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करना; (v) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जनशक्ति की अपेक्षाओं जिसके अंतर्गत भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य या उससे उच्चतर वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन वाले पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव भी हैं, का पुनर्विलोकन करना तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए नई संरचनाओं की स्थापना करना; (vi) उन सभी मामलों पर विचार करना, जिनमें- (क) निम्नलिखित के संबंध में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय अंतर्वलित हो- (I) (क) रक्षा उत्पादन विभाग; और (ख) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग; (II) रक्षा विभाग के संबंध में पूंजी कार्य परियोजनाएं, सेवा पूंजी अर्जन योजनाएं, स्कीमें, परियोजनाएं, सुरक्षा संबंधी उपस्कर, नॉन-स्केल्ड तथा नई मदों का उपापन; और (ख)मद (क) में सम्मिलित न किए गए विभागों के संबंध में, जिसमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का सुरक्षा संबंधी

	व्यय अंतर्ग्रस्त हो, उन मामलों के सिवाय जहां मामलों या मामलों के वर्ग के निपटान के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को उच्चतर शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों; (ग) रक्षा विभाग द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में, जहां भूमि अर्जन पृथक रूप से किया गया है, दो सौ पचास करोड़ रूपए से अधिक के पूंजी व्यय अंतर्वलित हों; (vii) परमाणु ऊर्जा संबंधी सभी मामले; और (viii) निम्नलिखित के संबंध में मामलों पर विचार करना– (i) प्रविष्टि (vi) के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में स्कीमों, परियोजनाओं, उनके अर्जन या उपापन के संबंध में, समय-सीमा पार होने, परिधि में परिवर्तन, अथवा अवप्राक्कलन के कारण अंतिम रूप दिए गए लागत प्राक्कलनों या पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों में हुई वृद्धि, उस सीमा तक जहां यह वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित मूल लागत प्राक्कलनों के बीस प्रतिशत से अधिक हो; (ii) मद (i) में निर्दिष्ट पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों में 5 प्रतिशत से अधिक की कोई और वृद्धिः परंतु यह कि पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन के ऐसे किसी मामले को, जहां ऐसा पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन एक हजार करोड़ रुपए अथवा उससे कम है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आने वाले अन्य मामलों को, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष लाना, उन मामलों के सिवाय जहां भारसाधक मंत्री किसी मामले को इस समिति के समक्ष रखने का निदेश देता है, अपेक्षित नहीं होगाः परंतु यह और कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के समय मूल अनुमोदित परियोजना समय-सारणी के भीतर परिकल्पित कानूनी उद्ग्रहणों, विनिमय दर परिवर्तन और मूल्य वृद्धि में बढ़ोत्तरी के कारण हुई किसी वृद्धि को इस प्रविष्टि के अधीन लागत में किसी बढ़ोत्तरी को अवधारित करते समय अपवर्जित किया जाएगा ।
7. निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) अवसंरचना और विनिर्माण, आदि जैसे सेक्टरों में 1000 करोड़ रुपए या अधिक के निवेश वाली, समयबद्ध आधार पर कार्यान्वयन की अपेक्षा वाली प्रमुख परियोजनाएं, अथवा अन्य कोई अतिसंवेदनशील परियोजनाएं जो इस समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकें, की पहचान करना; (ii) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा, पहचान किए गए सेक्टरों की परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित अनुमोदन तथा अनुमतियां प्रदान किए जाने के लिए समय-सीमा विहित करना; (iii) पहचान की गई परियोजनाओं की प्रगति को मॉनीटर करना जिसमें प्रत्येक अनुमोदन/अनुमति प्राप्त किए जाने के लिए

	विहित/लिया गया समय तथा देरी, यदि कोई हुई हो, भी शामिल है; (iv) अनुमतियां/अनुमोदन प्रदान करने में देरी का कारण बने मुद्दों सहित ऐसी परियोजनाओं, जिनमें अनुबद्ध समय-सीमा से अधिक विलंब हुआ, के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करना; (v) अनुमोदन तथा अनुमतियां प्रदान करने/न करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का पुनर्विलोकन; (vi) विनिर्दिष्ट परियोजनाएं जो असम्यक रूप से लंबित हुई हैं, उनमें, यदि आवश्यक समझा जाए तो, अनुमोदन/अनुमति प्रदान करने/न करने संबंधी विनिश्चय करना; (vii) अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों द्वारा विनिश्चय लेने के लिए अपनाए जा रहे नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाने सहित पहचान किए गए सेक्टरों में अनुमोदन/अनुमतियां शीघ्रता से प्रदान करने/न करने पर विचार करना और अपेक्षित उपायों पर विनिश्चय करना; और (viii) निवेश तथा आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु विहित समय-सीमा के भीतर सांविधिक प्राधिकारियों से संगत विधि/विनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने और शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा करना ।
8. कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति ।	(i) तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की उभरती अपेक्षाओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए कार्यबल की नियोजनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य वाली कौशल विकास के लिए सभी नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों और पहलुओं को दिशा प्रदान करना और उन पर विचार करना ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश के फायदे की योजना बनाई जा सके; (ii) कौशल विकास, कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाने तथा रोजगार विकास को प्रोत्साहित करने और विभिन्न सेक्टरों में कौशल की अपेक्षाओं तथा उपलब्धता के मध्य अंतर की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए कौशल विकास संबंधी सभी क्रियाकलापों को निदेशित करना और उनमें समन्वय करना; (iii) मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई सभी कौशल विकास पहलुओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा इस संबंध में प्रगति का आवधिक पुनर्विलोकन करना; और (iv) कौशल विकास संबंधी अन्य किसी विषय पर विचार करना । टिप्पण: आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष मामलों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकथित धनीय अवसीमा का अनुसरण कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा भी, जहां अपेक्षित हो, मामलों की अनुमति देने के लिए किया जाएगा ।

प्रथम अनुसूची का उपाबंध I

वे नियुक्तियां जिनके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है

विभाग	नियुक्तियां
क. सभी मंत्रालय/विभाग	1. केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की श्रेणी की सचिवीय नियुक्तियां । 2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव के न्यूनतम वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन के समतुल्य अथवा उससे उच्चतर वेतन या वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन वाले भारत सरकार में सिविलियन अधिकारियों की अन्य सभी नियुक्तियां– निम्नलिखित के सिवाय– **(i)** गृह मंत्रालय के अधीन, केन्द्रीय पुलिस संगठनों में महानिरीक्षक तथा अपर महानिदेशक स्तर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति; **(ii)** गृह मंत्रालय के अधीन, केन्द्रीय पुलिस संगठनों में रक्षा बलों के मेजर जनरल अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति; और **(iii)** भारत सरकार के सचिव के समतुल्य वेतनमान वाले पदों से भिन्न काडर के पदों पर संगठित समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति । 3. विदेश में अधिकारियों की (विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भिन्न) भारतीय मिशनों में अथवा बाहर ऐसे मिशनों में तृतीय सचिवों या उसके समतुल्य और उससे ऊपर की रैंक के पदों पर नियुक्ति । 4. संघ की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कार्यालयों में निजी सचिवों तथा विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति ।

	5. केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं और कानूनी निकायों में, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के न्यूनतम वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन के समतुल्य अथवा उससे उच्चतर वेतन या वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन में, मुख्य कार्यपालक के पदों पर नियुक्ति । 6. किसी अनुसूची ''क'' अथवा अनुसूची ''ख'' के राज्य के स्वामित्वाधीन लोक निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक सेक्टर की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं, कंपनी या उद्यम के अध्यक्ष और प्रबंध मंडल के अन्य सदस्यों (जिनमें प्रबंध निदेशक और वित्त सलाहकार, यदि वित्त सलाहकार प्रबंध मंडल का सदस्य है, भी सम्मिलित है) की नियुक्ति, चाहे वे वैतनिक हो या नहीं, तबके सिवाय जब ऐसी नियुक्ति सरकार द्वारा पदेन की जाती है । 7. राज्य के स्वामित्वाधीन किसी भी लोक निगम, कंपनी अथवा उद्यम के प्रबंधक बोर्डो में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पदों पर नियुक्ति। 8. केन्द्रीय सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों और कानूनी निकायों में, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के न्यूनतम वेतनमान अथवा वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन के समतुल्य अथवा उससे उच्चतर वेतन अथवा वेतनमान या वेतन बैंड धन ग्रेड वेतन में, मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की नियुक्ति ।
ख. उपर्युक्त ''क'' के अधीन विनिर्दिष्ट नियुक्तियों के अतिरिक्त कुछ मंत्रालयों में विनिर्दिष्ट नियुक्तियां- रक्षा मंत्रालय	 1. रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार । 2. महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं । 3. महानिदेशक, आयुध कारखाने । 4. अपर महानिदेशक, आयुध कारखाने । 5. महानिदेशक, रक्षा संपदा । 6. महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन । 7. अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन ।

	8. महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन संगठन में निदेशक ग्रेड I। 9. रक्षा लेखा महानियंत्रक । 10. रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक । 11. भारतीय रक्षा लेखा सेवा में रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक और उनके समतुल्य पद । 12. निदेशक, रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए)। **थल सेना** 13. थल सेनाध्यक्ष । 14. उप-थल सेनाध्यक्ष/जनरल आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, केन्द्रीय कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान और थल सेना प्रशिक्षण कमान । 15. सेना मुख्यालय में प्रधान स्टाफ आफिसर्स, अर्थात डिप्टी चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ, एडजूटेंट जनरल, क्वार्टर-मास्टर जनरल, आयुध का मास्टर जनरल, सैनिक सचिव, मुख्य इंजीनियर तथा मिल्ट्री आपरेशन्स का महानिदेशक (डीजीएमओ) । **नौसेना** 16. नौसेनाध्यक्ष । 17. फ्लैग आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी नौसेना कमानें, उप-नौसेनाध्यक्ष और नौसेना मुख्यालय में वाइस एडमिरल के रैंक के प्रधान स्टाफ आफिसर्स अर्थात् चीफ ऑफ पर्सोनल, चीफ ऑफ मैटीरियल और डिप्टी चीफ आफ दि नेवल स्टाफ । **वायुसेना** 18. वायुसेनाध्यक्ष ।

	19. उप-वायुसेनाध्यक्ष; वायुसेना आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी, अनुरक्षण, प्रशिक्षण, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी वायु कमानें । 20. वायुसेना मुख्यालयों में प्रधान स्टाफ आफिसर्स अर्थात् डिप्टी चीफ आफ दि एयर स्टाफ; एयर आफिसर-इन-चार्ज, अनुरक्षण, एयर आफिसर-इन-चार्ज, प्रशासन, एयर आफिसर-इन-चार्ज, कार्मिक और महानिरीक्षक । मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और अंत:सेवा कमानें 21. अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ के चीफ, स्टाफ समिति के चीफ; कमांडर-इन-चीफ, अंडमान तथा निकोबार कमान; तथा कमांडर-इन-चीफ, सामरिक बल कमान । 22. एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी चीफ (सिद्धान्त, संगठन तथा प्रशिक्षण); एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी चीफ (नीति, योजना तथा बल विकास); एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी चीफ (प्रचालन); और महानिदेशक, रक्षा आसूचना अभिकरण तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी चीफ (आसूचना)। टिप्पण- प्रविष्टि सं0 14, 15, 17, 19, 20 तथा 22 में सम्मिलित किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित अधिकारी के उसी प्रविष्टि में सम्मिलित किसी अन्य पद पर स्थानांतरण के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के निर्देश की आवश्यकता नहीं है ।
वित्त मंत्रालय	भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ।
विधि और न्याय मंत्रालय	महा सॉलिसीटर और अपर महा सॉलिसीटर ।
रेल मंत्रालय	1. अध्यक्ष, रेल बोर्ड । 2. रेल बोर्ड के सदस्य और अपर सदस्य । 3. रेल वित्त-आयुक्त । 4. रेल -महाप्रबंधक और समतुल्य नियुक्तियां ।

प्रथम अनुसूची का उपाबंध II

वे पैनलीकरण जिनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है

1. केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव स्तर के सचिवीय पद धारण करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं, और संगठित समूह ''क'' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को पैनलित करना ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पैनलित करना ।

3. भारतीय विदेश सेवा की श्रेणी I से III के पदों पर नियुक्ति करने के लिए पैनलित करना ।

4. केन्द्रीय पुलिस संगठनों में महानिरीक्षक, अपर महानिदेशक और महानिदेशक या समतुल्य रैंकों के स्तर पर पद धारण करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पैनलित करना।

5. भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वन महानिरीक्षक, अपर वन महानिदेशक और वन महानिदेशक के पद धारण करने के लिए पैनलित करना ।

6. रेल मंत्रालय के अंतर्गत संगठित समूह 'क' सेवाओं तथा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार सेवाओं तथा अन्य सेवाओं से भिन्न संगठित समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्तियों के लिए पैनलित करना ।

7. भारतीय रेल में अपर महाप्रबंधक और ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय के अधीन सभी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को पैनलित करना ।

8. दूरसंचार आयोग के अधीन रु0 67000-(तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000 और ऊपर के वेतनमान वाले किसी पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों का पैनलीकरण ।

9. भारतीय थलसेना में लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में समतुल्य रैंक; नौसेना मुख्यालय में आयुध पूर्ति महानिदेशक, नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (एस ए जी) और ज्येष्ठ निदेशक (नौसेना भंडार); और सैन्य इंजीनियरी सेवा में अपर महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर, मुख्य वास्तुविद् और मुख्य इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पदों पर नियुक्ति करने के लिए पैनलित करना ।

द्वितीय अनुसूची

(नियम 7)

वे मामले, जो मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाएंगे

(क) विधान संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत अध्यादेश जारी करना भी है ।

(ख) संसद के सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण और संदेश ।

(ग) संसद के सदनों का आह्वान या सत्रावसान करने या लोक सभा को विघटित करने की प्रस्थापनाएं ।

(घ) संधियों, करारों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के साथ बातचीत से संबंधित विषय :

परंतु --

(i) संबंधित विभाग के भारसाधक मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित और जहां नियम 4 के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किए गए हैं, सांस्कृतिक करारों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं, को केवल मंत्रिमंडल में सूचनार्थ परिचालित किया जाए;

(ii) ऐसे विदेशी सहायता करारों और वाणिज्यिक करारों को, जिन्हें संबंधित विभाग के भारसाधक मंत्री ने सम्यक रूप से अनुमोदित किया हो और जो मंत्रिमंडल द्वारा पहले से ही अनुमोदित व्यापक ढांचे के अंतर्गत हों, मंत्रिमंडल के समक्ष औपचारिक रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है ।

(ड.) (i)युद्ध-स्थिति के प्रारम्भ या समाप्ति से संबंधित मामले और सम्बद्ध विषय ।

(ii)संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के अधीन आपात की उद्घोषणा से संबंधित मामले और उनसे सम्बद्ध अन्य विषय ।

(च) लोक आयोग या जांच समितियां नियुक्ति करने की प्रस्थापनाएं और ऐसे आयोगों या समितियों की रिपोर्टों पर विचार ।

(छ) भारत सरकार द्वारा या उसकी प्रेरणा पर संस्थित किसी अभियोजन को उस आशय की सक्षम विधिक सलाह के बिना वापस लेने की कोई प्रस्थापना ।

(ज) मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडल की स्थायी समिति (यों) द्वारा पहले से लिए गए निर्णय के सिवाय निम्नलिखित के संबंध में प्रस्ताव --

(i)(क)केन्द्रीय सरकार के या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के पूर्ण स्वामित्वाधीन नए निगमों या कंपनियों का सृजन ।

(ख)नए स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय, विशेष प्रयोजन माध्यम आदि स्थापित करना;

(ii) किसी नए या किन्हीं विद्यमान निगम या कंपनी, जिसमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का विनिधान शामिल है, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसा करने का प्राधिकार विशेष रूप से अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है, के लिए शेयर पूंजी की, जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर संगठनों में, जिनमें सरकार का कोई शेयर या हित हो, जनता से शेयर अर्जित करने की प्रस्थापनाओं से भिन्न हो, व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा भाग लिया जाना;

(iii) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के परिसमापन, समामेलन या संरचनात्मक पुनः संगठन की ऐसी ही अन्य बड़ी स्कीमें;

(iv)(1)(i) रेल मंत्रालय, राज्य के स्वामित्वाधीन सरकारी निगमों, कंपनियों, उद्यमों और परियोजनाओं सहित विभिन्न विभागों से संबंधित स्कीमों तथा परियोजनाओं, उपापन तथा अर्जन संबंधी मामलों में निर्धारित लागत अनुमानों में वृद्धि, जहां ऐसी वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित साध्यता रिपोर्ट पर आधारित मूल लागत प्राक्कलनों के 20 प्रतिशत से अधिक हो;

(ii) मूल अनुमोदित परियोजना काल–चक्र के भीतर सांविधिक उद्ग्रहणों में वृद्धि, विनिमय दर उतार–चढ़ाव और कीमत वृद्धि के कारण हुई वृद्धि को छोड़ने के बाद, उपखण्ड (iv) (1)(i) के प्रयोजन के लिए समय अधिक हो जाने, व्याप्ति में परिवर्तन, अवप्राक्कलन, आदि जैसे कारणों से होने वाली लागत वृद्धि;

(2) प्रविष्टि (iv)(1) में निर्दिष्ट पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों में पांच प्रतिशत से अधिक की कोई और वृद्धि (अनुमोदित परियोजना समय–सारणी के भीतर सांविधिक उद्ग्रहणों में वृद्धि, विनिमय दर उतार–चढ़ाव और कीमत वृद्धि के कारण हुई बढ़ोत्तरी को छोड़ने के पश्चात्):

परन्तु, उपर्युक्त प्रविष्टि (ज)(iv) में उल्लिखित पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों का कोई भी मामला, जहां पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन एक हजार करोड रुपये या कम है अथवा नियम 7 के दूसरे परंतुक के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर है, भले ही किसी प्राधिकारी ने परियोजना को शुरू में अनुमोदित किया हो, मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं लाया जाएगा;

(v) किसी विभाग, राज्य के स्वामित्वाधीन लोक निगम, कंपनी अथवा उद्यम द्वारा किसी स्कीम की स्थापना अथवा विस्तार (जिसमें उत्पादन की कोई प्रणाली सम्मिलित हो) तथा उपापन या अर्जन, जहां स्थापना अथवा विस्तार में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय अंतर्वलित न हो ।

(झ) वेतन बैंड–4 में 10,000 रु0 ग्रेड वेतन वाले और उससे ऊपर के सभी पदों के सृजन से संबंधित प्रस्थापनाएं ।

टिप्पणः यह खण्ड पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पदों तथा सुनम्य पूरकता स्कीम के अधीन वैज्ञानिक पदों को लागू नहीं होता है ।

(ञ) वित्तीय प्रभाव रखने वाले वे मामले, जिन पर वित्त मंत्री मंत्रिमंडल का विनिश्चय प्राप्त करना चाहते हैं ।

(ट) वे मामले, जिनमें संबंधित विभाग का भारसाधक मंत्री किसी ऐसे विषय से संबंधित, जिसका भार–साधन उसे सौंपा गया है, किसी महत्वपूर्ण मामले में मंत्रिमंडल का विनिश्चय या निदेश प्राप्त करना चाहता है ।

(ठ) वे मामले, जिनमें दो या अधिक मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है और मंत्रिमंडल का विनिश्चय वांछित है ।

(ड) मंत्रिमंडल द्वारा पहले किए गए किसी विनिश्चय में परिवर्तन करने या उसे उलटने की प्रस्थापनाएं ।

(ढ) अन्य कोई मामले, जिनकी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री साधारण या विशेष आदेश द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाने की अपेक्षा करें ।

टिप्पण: (i) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, कोई मामला या मामलों का वर्ग, जो इन नियमों की प्रथम अनुसूची में आते हैं अथवा सम्मिलित किये गये हैं, मंत्रिमंडल की संबंधित समिति द्वारा निपटाया जाएगा और नियम 6 के उपनियम (6) के निबंधनों के सिवाय, मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित नहीं होगा । मंत्रिमंडल की संबंधित समिति द्वारा इस प्रकार के निपटान में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित विधान संबंधी मामले सम्मिलित नहीं होंगे ।

(ii) वेतन बैंड–4 में 10,000 रु0 ग्रेड वेतन वाले और उससे ऊपर के नए पदों के सृजन, संयुक्त उपक्रमों, विशेष प्रयोजन माध्यमों, नए निकायों जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम आदि जैसे नए अस्तित्वों की स्थापना से संबंधित मामले मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाएंगे तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के संदर्भ के सिवाय, स्थायी समितियों द्वारा निपटाए नहीं जाएंगे:

परन्तु, संयुक्त सचिव स्तर और ऊपर के पद(दों) (अर्थात् वेतन बैंड–4 में 10,000 रु0 ग्रेड वेतन वाले और उससे ऊपर के पद(दों)) के अस्थाई उन्नयन, जो उन्नयन की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए हो, तथा ऐसे पद(दों) के किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थाई अवनयन के मामलों का निपटारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा किया जाएगा ।

तृतीय अनुसूची

(नियम 8)

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामले

क्रम संख्या	मामलों की प्रकृति	संविधान का उपबन्ध, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश,	वह प्राधिकारी जिसके समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते, और विशेषाधिकार और शासकीय निवास ।	अनुच्छेद 59(3)	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
2.	क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, निलम्बन, परिहार का किया जाना या मृत्यु दण्डादेश का लघूकरण ।	अनुच्छेद 72	राष्ट्रपति
3.	प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और पदत्याग ।	अनुच्छेद 75	राष्ट्रपति
4.	भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 76	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
5.	संसद के दोनों सदनों में से किसी के सदस्यों का नामनिर्देशन ।	अनुच्छेद 80 और 331	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
6.	संसद के सदनों का आह्वान या सत्रावसान या लोक सभा का विघटन ।	अनुच्छेद 85 और 108	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
7.	संसद के सदनों को राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश ।	अनुच्छेद 86 और 108	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
8.	संसद सदस्यों की निरर्हताएं ।	अनुच्छेद 103	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
9.	संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ।	अनुच्छेद 111	राष्ट्रपति

1	2	3	4
10.	वार्षिक वित्त विवरणों और अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानों से संबद्ध विवरणों को, विनियोग विधेयकों और ऐसे कराधान पर, जिनसे राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों को संसद के सदनों के समक्ष उपस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिशें ।	अनुच्छेद 112, 114, 115, 117 और 274	राष्ट्रपति
11.	अध्यादेशों का प्रख्यापन और वापस लिया जाना ।	अनुच्छेद 123	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
12.	भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 124, 126 127 और 128	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
13.	भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।	अनुच्छेद 143	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
14.	भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 148	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
15.	राज्यों के राज्यपालों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों की, जिनकी प्रास्थिति उपराज्यपाल की हो, नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 155 और 239	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
16.	राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए या राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध ।	अनुच्छेद 160 और 356	राष्ट्रपति
17.	राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक ।	अनुच्छेद 201	राष्ट्रपति
18.	राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 217, 223, और 224	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
19.	अंतरराज्यिक परिषदों की स्थापना ।	अनुच्छेद 263	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति

1	2	3	4
20.	वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, निलम्बन, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 280	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
21.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 316 और 317	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
22.	मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 324	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
23.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 338	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
24.	राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 339	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
25.	पिछड़े वर्गो की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 340	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
26.	संघ की राजभाषा के बारे में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	अनुच्छेद 344	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
27.	आपात की उद्घोषणा और वित्तीय आपात के बारे में उद्घोषणा और ऐसी उद्घोषणाओं से उद्भूत होने वाले अन्य उपबंध ।	अनुच्छेद 352 से 360 तक	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
27क.	युद्ध-स्थिति के प्रारम्भ या समाप्ति की घोषणा ।	--	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
28.	भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को मान्यता देना ।	अनुच्छेद 366(22)	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
29.	संविधान संशोधन ।	अनुच्छेद 368	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति

1	2	3	4
30.	अनुच्छेद 370 और 371 के अधीन प्रस्थापनाएं ।	--	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
31.	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5(2) के अधीन बनाए गए विनियमों पर अनुमति ।	--	राष्ट्रपति
32.	विदेशों के लिए प्रत्यायित राजदूतों, मंत्रियों, कार्यदूतों तथा अन्य उच्च पदस्थों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना ।	--	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
32क.	विदेशी राजनयिक मिशनों/उच्चायोगों के प्रधानों के रूप में प्रत्यायित किए जाने के लिए जिन व्यक्तियों की प्रस्थापना हो उनके लिए सहमति प्रदान करना या उससे इंकार करना और उन्हें अग्राह्य व्यक्ति घोषित करना ।	--	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
33.	पदक और अलंकरण देना तथा ''प्रेषणों में उल्लेख'' ।	--	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
34.	विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों को संदेश ।	--	राष्ट्रपति
35.	अन्य ऐसे प्राधिकारियों की नियुक्तियां, पद-त्याग और हटाया जाना जिनको राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित करे ।	--	राष्ट्रपति
36.	प्रशासनिक महत्व के अन्य ऐसे मामले जिन्हें प्रधानमंत्री विनिर्दिष्ट करें ।	--	राष्ट्रपति
37.	अन्य किन्हीं कानूनी आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की जिनका वर्णन ऊपर नहीं हुआ है, और महत्वपूर्ण तदर्थ आयोगों और उनके सदस्यों की नियुक्ति, पद-त्याग और पद से हटाया जाना ।	--	प्रधानमंत्री
38.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और अंतरराष्ट्रीय बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के कार्यपालक तथा अन्य अंगों के महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति ।	--	प्रधानमंत्री

1	2	3	4
39(i)	अनुशासनिक कार्रवाई के ऐसे मामले, जहां संगत नियमों के अधीन अन्यथा सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे किसी पद, जिस पर नियुक्ति के लिए सामान्यत: मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित होता है, को धारण करने वाले पर पदच्युत करने, पद से हटाने, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने अथवा उसके रैंक में कमी करने की शास्ति अधिरोपित करना न्यायसंगत है ।	---	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
(ii)	अखिल भारतीय सेवाओं तथा सभी समूह क केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों जिनमें रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले अधिकारी भी हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के ऐसे मामले, जहां संबंधित विभागों के बीच या संबंधित विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के बीच भिन्न राय है, और जिन्हें ऊपर 39(i) के अनुसार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ।	--	प्रधानमंत्री
40.	अंतरराष्ट्रीय (जिसके अंतर्गत कामनवैल्थ भी है) सभाओं और सम्मेलनों में भेजे जाने वाले शिष्टमंडल ।	--	प्रधानमंत्री
41(i)	मंत्रि-समूह द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने भारत सरकार के सचिव के रैंक का अथवा उसके समतुल्य अथवा उच्चतर पद धारण किया हो और अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व वह: (क) किसी अखिल भारतीय सेवा का रहा हो तथा जो अपनी सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पहले की अवधि के दौरान किसी समय केंद्रीय सरकार में रहा हो; अथवा (ख) रेल मंत्रालय सहित किसी भी केंद्रीय सिविल सेवाओं में रहा हो, को किसी प्राइवेट (वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य) समुत्थान में पारिश्रमिक वाले नियोजन ग्रहण करने के लिए अनुज्ञा देने संबंधी विचारित मामले । टिप्पण:- सचिव और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों के संबंध में अनुज्ञा देने के अनुरोधों पर, प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले एक मंत्रि-समूह द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का राज्य मंत्री अथवा जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कोई राज्य मंत्री न हो तब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का भारसाधक मंत्री, ऐसा व्यक्ति जिस सेवा से संबंध रखता हो, उसके संवर्ग नियंत्रण विभाग का भारसाधक मंत्री तथा ऐसे व्यक्ति ने पिछले एक वर्ष के दौरान जिस विभाग में कार्य किया हो, उस विभाग का भारसाधक मंत्री शामिल हों । परंतु ऐसे मामलों में जहां, ऐसे अधिकारी,	--	प्रधानमंत्री

1	2	3	4
	जिसके मामले पर विचार किया जा रहा हो, का संवर्ग नियंत्रण मंत्रालय भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ही है, वहां मंत्रि-समूह में गृह मंत्री भी सम्मिलित होगा ।		
	(ii) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर अथवा समतुल्य और उच्चतर परंतु भारत सरकार के सचिव के स्तर अथवा समतुल्य से कम स्तर के ऐसे अधिकारियों को, जो अखिल भारतीय सेवाओं अथवा रेल मंत्रालय सहित केंद्रीय सिविल सेवाओं में से किसी के भी हों, अनुज्ञा देने संबंधी ऐसे मामले, जहां 41(i) के अनुसार मंत्रि-समूह ने ऐसी अनुज्ञा देने की सिफारिश नहीं की है । परंतु जहां मंत्रि-समूह इस स्तर के किसी अधिकारी को ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने की सिफारिश करता है, वहां प्रधानमंत्री का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।	--	प्रधानमंत्री
41क.	अन्वेषण और गुप्तचर प्रयोजनों के लिए किसी गैर सरकारी विदेशी अभिकरण का आबंधन ।	---	प्रधानमंत्री
42.	अन्य कोई विषय जिसे प्रधानमंत्री समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।	--	प्रधानमंत्री

चतुर्थ अनुसूची

(नियम 10)

कालिक रिपोर्टें तथा अन्य कागज-पत्र जो राष्ट्रपति की जानकारी के लिए उन्हें प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(1) मंत्रिमंडल और उसकी समितियों के अधिवेशनों के लिए कार्यसूची और संबद्ध कागज-पत्र और वे मामले जो मंत्रियों की राय अभिलिखित करने के लिए उन्हें परिचालित किए गए हैं ।

(2) मंत्रियों को परिचालित या मंत्रिमंडल के या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में विनिश्चित मामलों पर किए गए विनिश्चयों का अभिलेख ।

(3) मासिक संक्षिप्तियां और अन्य ऐसी कालिक विवरणियां जिनका विभागों द्वारा मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

(4) निदेशक, आसूचना ब्यूरो से प्राप्त साप्ताहिक आसूचना संक्षिप्तियां ।

(5) आंतरिक राजनैतिक स्थिति, आदि के बारे में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त पाक्षिक रिपोर्टें।

(6) संविधान के उपबंधों के अनुसार, सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारियों, समितियों और आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें ।

(7) वे महत्वपूर्ण तार जिनका आदान-प्रदान विदेश मंत्रालय और विदेश-स्थित प्रतिनिधियों के बीच किया गया हो ।

(8) विभागों द्वारा जारी किए गए उन आदेशों की प्रतियां जिनमें निम्नलिखित हों-

(क) राज्यों के राज्यपालों द्वारा अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त अनुदेश; तथा

(ख) किसी राज्य के साथ या उस राज्य के अन्दर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बन्ध अधिरोपित करने वाले विधेयकों या संशोधनों की उस राज्य के विधानमंडल में पुर:स्थापना पर अनुच्छेद 304 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति की मंजूरियां ।

(9) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से और विधान के लिए प्रस्तावों से संबद्ध ऐसी अन्य जानकारी जिसकी राष्ट्रपति अपेक्षा करें ।

भारत सरकार

(कार्यकरण) नियम, 1961 का परिशिष्ट

(1988 का पुनर्मुद्रण)

भारत सरकार **(कार्यकरण)** नियम, 1961 को संशोधित करते हुए 6 मई, 2016 तक जारी किए गए आदेशों की सूची

संशोधन अवलि सं0	**आदेश सं0**	**तारीख**
1	74/7/CF-62	28.03.1962
2	74/25/CF-62	01.06.1962
3	74/25/CF-65	06.01.1965
4	74/25/CF-65	16.03.1965
5	74/25/CF-65	03.04.1965
6	74/25/CF-65	30.04.1965
7	74/25/CF-65	09.07.1965
8	74/25/CF-65	15.10.1965
9	74/25/CF-69	28.04.1969
10	74/25/CF-69	30.04.1969
11	74/25/CF-69	02.09.1969
12	74/1/3/CF-70	11.05.1970
13	74/1/3/CF-70	20.10.1970
14	74/1/3/CF-70	30.01.1971
15	74/1/2/71-CF	22.01.1972
16	74/1/4/72/CF	29.06.1972
17	74/1/3/74-CF	30.09.1974
18	74/1/3/74-CF	30.11.1974
19	74/1/3/75-CF	06.05.1975
20	74/1/3/75-CF	16.08.1975
21	74/1/3/75-CF	21.11.1975
22	74/1/4/76-CF	23.09.1976
23	74/1/1/77-CF	29.04.1977
24	74/1/3/78-CF	26.09.1978
25	74/1/3/78-CF	22.12.1978
26	74/1/1/79-Cab.	29.01.1979
27	74/1/3/81-Cab.	16.07.1981
28	74/1/7/83-Cab.	06.05.1983
29	74/1/2/85-Cab.	04.06.1985
30	74/1/2/86-Cab.	27.03.1986
31	74/1/3/88-Cab.	03.08.1988
32	74/1/2/87-Cab.	21.11.1988

33	74/1/2/87-Cab.	24.11.1988
34	74/1/11/89-Cab.	08.01.1990
35	74/1/6/89-Cab.	14.03.1990
36	74/1/8/90-Cab.	03.08.1990
37	74/1/4/89-Cab.	14.09.1990
38	74/1/4/92-Cab.	03.10.1992
39	74/1/5/90-Cab.	16.10.1992
40	74/1/8/93-Cab.	31.12.1993
41	74/1/8/93-Cab.	08.03.1994
42	1/20/2/97-Cab.	26.06.1997
43	1/22/2/98-Cab.	02.07.1998
44	1/22/2/98-Cab.	27.08.1998
45	1/22/2/98-Cab.	01.12.1998
46	1/22/2/99-Cab.	18.02.2000
47	1/22/2/2001-Cab.	24.08.2001
48	1/22/2/2002-Cab.	11.02.2002
49	1/22/2/2002-Cab.	05.12.2002
50	1/22/2/2003-Cab.	26.03.2003
51	1/22/2/2004-Cab.	09.10.2004
52	1/22/2/2004-Cab.	03.05.2005
53	1/22/2/2005-Cab.	02.08.2005
54	1/22/2/2006-Cab.	01.05.2006
55	1/20/1/2007-Cab.	15.10.2007
56	1/20/1/2007-Cab.	15.10.2007
57	1/22/2/2009-Cab.	06.07.2009
58	1/20/2/2007-Cab.	16.10.2009
59	1/20/2/2009-Cab.	03.11.2009
60	1/20/2/2007-Cab.	18.01.2010
61	1/22/2/2010-Cab.	01.04.2010
62	1/22/2/2010-Cab.	08.12.2011
63	1/22/2/2012-Cab. 1/22/2/2012-Cab. शुद्धि - पत्र	02.01.2013 08.01.2013
64	1/22/1/2013-Cab.	10.06.2013
65	1/20/2/2014-Cab.	25.06.2014
66	1/20/6/2013-Cab.	29.08.2014
67	1/20/7/2014-Cab.	01.12.2014
68	1/20/5/2015-Cab.	11.05.2015
69	1/20/1/2016-Cab.	06.05.2016